प्रेषक,

ईमेल/आवश्यक

जिला मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

THE REGISTRAR GENERAL,
NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
FARIDKOT HOUSE,
COPERNICUS MARG,
NEW DELHI- 110001

संख्या : 1491/तेईस–स्था0नि0/2018–19 दिनांक जुलाई 31, 2019

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन पत्र संख्या–168/2019 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आपके द्वारा पत्र दिनांक 18.04.2019 से अनुपालन हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 15.04.2019 के अनुपालन में आख्या निम्न प्रकार है :–

1. ग्राम विपुल, पो0 नैनीपातल, पट्टी–जीवी, तहसील पिथौरागढ़ के गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या–24 श्रेणी–9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 2338 मध्ये 0.240 हे0, 2362 मध्ये 0.500 हे0 तथा 2464 मध्ये 0.010 हे0, कुल तीन खेतों की **0.750 है0** भूमि शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज है, खाता खतौनी का विवरण संलग्न है।

इस प्रकार उक्त भूमि वन भूमि न होकर उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास विभाग के स्वामित्व की है तथा वर्तमान में नगर पालिका, पिथौरागढ़ के नियंत्रणाधीन है।

2. नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़ द्वारा डम्पिंग साईट में टिन के माध्यम से बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किया गया है। डम्पिंग साईट से ग्राम सिरड़ की दूरी लगभग 05 किमी0 है।

3. उक्त डम्पिंग साईट से आबादी क्षेत्र ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम के मानकों के अनुरूप निर्धारित दूरी पर स्थित है।

4. नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़ द्वारा डम्पिंग साईट पर ही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम के अनुरूप रू0 8.21 करोड़ की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्र संख्या 2544/एन0पी0/3–निर्माण/2018–19 दिनांक 26.02.2019 से स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की गयी है। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृति हेतु भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

5. डम्पिंग साईट में माह फरवरी, 2019 में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगायी गयी थी, जिसे तत्काल बुझा दिया गया था। असामाजिक तत्वों द्वारा कोई ऐसा कार्य न होने पाय इस हेतु सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी गयी है।

कार्यालय
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
0795 31.7.19

6. डम्पिंग साईट में जैविक एवं अजैविक कूड़े का पृथक्कीकरण किया जाता है। तदुपरान्त अजैविक कूड़े को स्थान ऐंचोली जो डम्पिगं यार्ड से लगभग 10 कि0मी0 की दूरी पर है, कॉम्पैक्टर के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। जैविक कूडे का निस्तारण डम्पिंग यार्ड में गड्डे बनाकर दबाकर किया जाता है।

7. नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़ द्वारा डम्पिंग यार्ड में कूड़े के निस्तारण हेतु डी0पी0आर एस0डब्लू0एम0 मानको एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है।

8. दिनांक 24.07.2019 को उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ तथा वन क्षेत्राधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा कूड़ा स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्राप्त संयुक्त जांच आख्यानुसार डम्पिंग साईट में कूड़े का उचित प्रकार से निस्तारण डम्पिंग साईट हेतु चयनित भूमि में ही किया जाना अवगत कराया गया है। (प्रति संलग्न)

अतः एन0जी0टी0 (मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय,

(डॉ0 विनय भार्गव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिला मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।